



DR. B.R. AMBEDKAR UNIVERSITY OF SOCIAL SCIENCES
(State University, Govt. of MP)

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय

(राज्य विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश शासन)
डॉ. अम्बेडकर नगर (महू) जिला इंदौर (म.प्र.)

क्र.ब्राउस/शैक्ष./आर.डी.सी. शिक्षा/2023/2029

दिनांक-09/03/2023

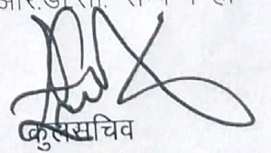
सूचनादेश

विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना ब्राउस/शैक्ष./2022/1526 दिनांक 19.12.2022 के अनुसार आर.डी.सी. समिति का गठन किया गया था। समिति की पुनः बैठक दिनांक 15.03.2023 को प्रातः 11.30 विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के बैठक कक्ष में आयोजित की गयी है। पीएच.डी. शिक्षा एत्र 2015-16 के तीन शोधार्थियों की आर.डी.सी. हेतु विश्वविद्यालय के अध्यादेश 10 के बिन्दु क्रमांक 12 में प्रावधानित रिसर्च डिग्री कमिटी का गठन निम्नानुसार किया गया है:-

1. अध्यक्ष - विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति
2. संकायाध्यक्ष- डॉ. मनीषा सक्सेना, सह-प्राध्यापक एवं डीन ब्राउस महू
3. विभागाध्यक्ष- डॉ. मनीषा सक्सेना, सह-प्राध्यापक एवं डीन ब्राउस महू
4. अध्यक्ष बोर्ड ऑफ स्टडीज- डॉ. मनीषा सक्सेना, सह-प्राध्यापक एवं डीन ब्राउस महू
5. बाह्य विषय विशेषज्ञ-प्रो. लक्ष्मण शिन्दे, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग, खण्डवा रोड इन्दौर (म.प्र.) ।

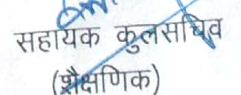
उपरोक्त समिति से अनुरोध है कि उपरोक्त निर्धारित समय व स्थान पर उपस्थित होने का कष्ट करे एवं पीएच.डी. शिक्षा सत्र 2015-16 के शोधार्थियों सुश्री रीना राय, श्री अरुण त्यागी एवं श्री संतोष यादव आर.डी.सी. की बैठक दिनांक 15.03.2023 को प्रातः 11.30 बजे प्रशासनिक भवन के बैठक कक्ष में आयोजित की गयी है उपस्थित रहे। ताकि शिक्षा विषय की आर.डी.सी. सम्पन्न हो सके।

आदेशानुसार


कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

1. कुलपति के निज सचिव ब्राउस माननीय कुलपति महोदय की ओर सूचनार्थ।
2. डॉ. मनीषा सक्सेना संकायाध्यक्ष की ओर सूचनार्थ एवं शोधार्थियों से प्राप्त रिवाइज सिनाप्सिस की एक-एक प्रति आपकी ओर पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर अवलोकनार्थ भेजी जा रही है।
3. प्रो. लक्ष्मण शिंदे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग, खण्डवा रोड इन्दौर (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं शोधार्थियों से प्राप्त रिवाइज सिनाप्सिस की एक-एक प्रति आपकी ओर पत्र के साथ संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ भेजी जा रही है।
4. वित्त नियंत्रक ब्राउस महू की ओर सूचनार्थ एवं बाहर से आने वाले सदस्यों के यात्रा भत्ता एवं मानदेय का भुगतान हेतु आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
5. सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक) की ओर सूचनार्थ एवं उक्त शोधार्थियों के मौखिकी का छात्रवार विवरण प्रत्येक विषय की एक निर्धारित पंजी में क्रमशः उपस्थिति दर्ज करे ताकि उक्त पंजी में समिति के निर्णय भी दर्ज कर सदस्यों के हस्ताक्षर भी होंगे।
6. सहायक कुलसचिव परीक्षा ब्राउस की ओर सूचनार्थ।
7. पीएच.डी. शिक्षा के उक्त शोधार्थियों की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


सहायक कुलसचिव
(शैक्षणिक)